

संख्या: U023 /33-3-2021-यू.ओ.-23/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 29 अप्रैल, 2021

विषय: ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1075/33-1-2020-3003/2017 दिनांक 02.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु उस परिवार के व्यस्क सदस्य को रु. 5,000/- दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के मृत होने पर उनके शवों के क्रियाकर्म/अंत्येष्टि (क्रिमिनेशन) हेतु निम्नवत निर्देश दिए जा रहे हैं:-

1. ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि आदि सम्पन्न किए जाते हैं, उक्त स्थान से कुछ दूरी पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु स्थान चिन्हित कर लिया जाय। उक्त चिन्हित स्थान पर ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंत्येष्टि/क्रियाकर्म कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि/क्रियाकर्म करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे-पी.पी.किट, हैण्ड ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जायेगा।
3. कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में अंतिम क्रिया के लिए तत्काल सहायता धनराशि रु० 5,000/- प्रदान की जाए। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हो तो ग्राम पंचायत उक्त रु. 5,000/- की धनराशि का उपयोग शव का दाह संस्कार पर करेगी। यह ध्यान में रखा जाए कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए।

Mansingh


4. उक्त कार्य में धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जा सकती है।

5. उक्त कार्यवाही के लिए सचिव, ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी(पं०), ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

6. इस प्रकार से सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का रिकार्ड पंचायत द्वारा रखा जाएगा एवं संकलित सूचना सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशक, पंचायती राज 30प्र० को प्रेषित की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह) 29.4.21


अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, 30प्र०।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-राजस्व, राहत, ग्राम्य विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गृह एवं गोपन, 30प्र० शासन।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र०शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा०), 30प्र०।
5. समस्त मंडलायुक्त, 30प्र०।
6. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पं०, 30प्र०।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र०।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, 30प्र०।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी-पं., 30प्र०।
10. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, 30प्र०।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।